OPEN ACCESS

Int. Jr. of Contemp. Res. in Multi. *PEER-REVIEWED JOURNAL* *Volume 4 Issue 4 [Jul- Aug] Year 2025*

Research Article

समकालीन भारत में राष्ट्रवाद: एक विमर्श

सीमा गहलोत

राजनीति विज्ञान विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान, भारत

Corresponding Author: सीमा गहलोत*

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.16881157

सारांश

राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक अवधारणा नहीं, बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक चेतना का भी प्रतिबिंब है, जो भारत जैसे बहुलतावादी राष्ट्र की जटिलताओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधी, नेहरू, सुभाष, टैगोर, सावरकर और विवेकानंद जैसे विचारकों ने राष्ट्रवाद की विभिन्न व्याख्याएँ प्रस्तुत कीं, जो आज भी प्रासंगिक बनी हुई हैं। यह शोध आलेख समकालीन भारत में राष्ट्रवाद की बहुआयामी, वैचारिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में गहन समीक्षा प्रस्तुत करता है। समकालीन दौर में भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप वैश्वीकरण, तकनीकी संचार, राजनीतिक ध्रुवीकरण और धार्मिक विविधता आदि के कारण परिवर्तित हुआ है। नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), अनुच्छेद 370 का निष्प्रभावीकरण और अयोध्या विवाद जैसे प्रमुख घटनाक्रम राष्ट्रवाद की नई परिभाषा गढ़ते हैं, जिसमें भारतीय संविधान, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को चुनौती मिलती है। इस लेख में पश्चिमी विद्वानों (जैसे एंडरसन, हॉब्सबॉम, गेलनर) और भारतीय विचारकों (जैसे पार्थ चटर्जी) के सिद्धांतों के माध्यम से राष्ट्रवाद की विवेचना की गई है। यह आलेख इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि राष्ट्रवाद का समावेशी, लोकतांत्रिक और मानवीय मूल्य आधारित स्वरूप ही भारत की एकता, विविधता और स्थायित्व को बनाए रख सकता है। अतः भारत में राष्ट्रवाद को सत्ता के उपकरण के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय समरसता और सामाजिक न्याय के संवाहक के रूप में समझना आवश्यक है। प्रस्तुत शोध-पत्र मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2583-7397
- **Received:** 19-06-2025
- **Accepted:** 23-07-2025
- **Published:** 15-08-2025
- **IJCRM:**4(4); 2025: 521-527
- **©2025, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

गहलोत सीमा. समकालीन भारत में राष्ट्रवाद: एक विमर्श. *Int J Contemp Res Multidiscip.* 2025;4(4):521-527.

Access this Article Online

www.multiarticlesjournal.com

कुंजी शब्द: समकालीन राष्ट्रवाद, भारत, संविधान, धर्मनिरपेक्षता।

परिचय

राष्ट्रवाद एक सजीव और गतिशील विचारधारा है, जो समय के साथ विकसित होती रहती है। यह न केवल एक राजनीतिक अवधारणा है, बल्कि एक सामाजिक-सांस्कृतिक विचार भी है, जो किसी राष्ट्र के नागरिकों को एकता और पहचान प्रदान करता है। भारत, जो एक बहुलतावादी समाज है, में राष्ट्रवाद की अवधारणा कई ऐतिहासिक और समकालीन संदर्भों में देखी जाती है। यह अवधारणा भारत की स्वतंत्रता संग्राम से लेकर वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य तक लगातार परिवर्तित होती रही है।

भारत में राष्ट्रवाद का स्वरूप प्रारंभिक रूप से ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ संगठित संघर्ष के रूप में विकसित हुआ था। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान, भारतीय राष्ट्रवाद ने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और अन्य नेताओं के नेतृत्व में एक सशक्त आंदोलन का रूप लिया, जिसने भारतीय समाज में राष्ट्रीय चेतना को मजबूत किया। स्वतंत्रता के बाद, भारत के संविधान ने एक

© 2025 सीमा गहलोत. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

समावेशी और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद की नींव रखी, जो विविधता में एकता के विचार को प्रोत्साहित करता है।[1]

समकालीन भारत में राष्ट्रवाद का स्वरूप

भारतीय राष्ट्रवाद भारतीय सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक मामलों में औपनिवेशिक हस्तक्षेप का परिणाम था। राष्ट्रवाद ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय राष्ट्रवाद पर बहस से पता चलता है कि भारत में राष्ट्रवाद के कई प्रकार थे। स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्रवाद को धर्म से जोड़ा, जबकि तिलक ने राष्ट्रवाद को संस्कृति से जोड़ा।[2] अरबिंदो और सावरकर जैसे नेताओं ने राष्ट्रवाद को हिंदू धर्म से जोड़ा।[3] टैगोर भारतीय परंपरा में विश्वास रखते थे और उनका मानना था कि भारत की अतीत की एक गौरवशाली सभ्यता थी, लेकिन समय के साथ भारत ने अपनी गौरवशाली परंपरा खो दी। उन्होंने राष्ट्रवाद की आलोचना की क्योंकि उनका मानना था कि राष्ट्रवाद का आधुनिक रूप हिंसा पर आधारित है। राष्ट्रवाद के बावजूद, टैगोर ने अंतर्राष्ट्रीयता पर ध्यान केंद्रित किया।[4] गांधी और टैगोर अच्छे मित्र थे, लेकिन दोनों के राष्ट्रवाद पर अलग-अलग विचार थे। गांधी का मानना था कि जब तक कोई राष्ट्रवादी नहीं बनता, तब तक वह अंतर्राष्ट्रीयवादी नहीं बन सकता। गांधी ने हिंसक राष्ट्रवाद को भी स्वीकार नहीं किया। लेकिन वे राष्ट्रवाद के खिलाफ नहीं थे। गांधी मानवतावाद और भाईचारे को राष्ट्रवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते थे।[5] नेहरू का भी राष्ट्रवाद के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण था। नेहरू के अनुसार, राष्ट्रवाद हिंसा, असहिष्णुता और आक्रामकता का स्रोत बन गया था।[6] इस प्रकार, विभिन्न भारतीय विचारकों के भारतीय राष्ट्रवाद पर अलग-अलग विचार थे। लेकिन समकालीन भारत में इसका स्वरूप काफी बदल चुका है।[7]

समकालीन भारतीय राष्ट्रवाद एक सतत बहस का विषय है, जिसमें राष्ट्रीय पहचान, सांस्कृतिक विरासत और राज्य की भूमिका पर विविध दृष्टिकोण शामिल हैं। ये बहसें ब्रिटिश उपनिवेशवाद और स्वतंत्रता संग्राम सहित ऐतिहासिक प्रभावों से प्रभावित होती हैं, और धार्मिक विविधता, क्षेत्रवाद और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं जैसे कारकों से और भी जटिल हो जाती हैं।[8]

समकालीन भारत में राष्ट्रवाद के कई आयाम हैं, जिनमें राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक कारक प्रमुख रूप से प्रभावी हैं। वैश्वीकरण, संचार क्रांति और सामाजिक मीडिया के विस्तार ने राष्ट्रवाद को एक नए स्वरूप में प्रस्तुत किया है। आज, राष्ट्रवाद विभिन्न राजनीतिक दलों और विचारधाराओं के माध्यम से प्रकट होता है, जिससे यह बहस का एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है।[9]

राष्ट्रवाद का यह विमर्श इस बात पर भी केंद्रित है कि यह किस प्रकार सामाजिक समरसता, नागरिक अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रभावित करता है। समकालीन भारत में राष्ट्रवाद कभी-कभी एक समावेशी शक्ति के रूप में कार्य करता है, जो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है, तो कभी यह अतिवादी रूप ले सकता है, जिससे सामाजिक ध्रुवीकरण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस संदर्भ में भारतीय राष्ट्रवाद को समझना और उसका संतुलित आकलन करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि यह लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक समरसता के साथ संगत बना रहे।

राष्ट्रवाद की प्रमुख अभिव्यक्तियाँ:

राष्ट्रवाद को सामान्यतः एक ऐसी विचारधारा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो राष्ट्रीय पहचान, संप्रभुता और एकता पर बल देती है। यह एक राजनीतिक और सामाजिक सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत किसी विशेष भू-भाग में रहने वाले लोगों की एक समान सांस्कृतिक, भाषाई, ऐतिहासिक या धार्मिक पहचान को रेखांकित किया जाता है।

बदलते समय के साथ समकालीन परिप्रेक्ष्य में, राष्ट्रवाद को राजनीतिक रूप से आवश्यक, सामाजिक रूप से कार्यात्मक और ऐतिहासिक रूप से निहित माना गया है।[10] हॉब्सबॉम ने "राष्ट्रवाद को एक ऐसी विचारधारा के रूप में परिभाषित किया जिसके अनुसार राजनीतिक और राष्ट्रीय इकाइयाँ एक-दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए।" एक आधुनिक संरचना के रूप में राष्ट्र विभिन्न चरणों से गुज़रे हैं। इसके अलावा, एक राष्ट्र के उदय के लिए कुछ राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक परिस्थितियाँ भी आवश्यक होती हैं। राष्ट्रवाद के बारे में उनका विचार ऊपर दिए गए समकालीन राष्ट्रवाद पर बहस से लिया गया है, हालाँकि इसका विश्लेषण नीचे से भी किया जाना आवश्यक है।[11]

गेलनर ने "राष्ट्रवाद को एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में देखा, जो मानता है कि राजनीतिक और राष्ट्रीय इकाई एकरूप होनी चाहिए"।[12] राष्ट्र और राष्ट्रवाद के शायद सबसे लोकप्रिय और स्वीकृत सिद्धांतों में से एक बेनेडिक्ट एंडरसन की यह धारणा है कि "राष्ट्र एक कल्पित समुदाय है जिसकी कल्पना करके उसे अस्तित्व में लाया जाता है"।[13] उनकी राष्ट्रवाद की धारणा रचनावादी है, जो 18वीं और 19वीं शताब्दी में, विशेष रूप से अमेरिका में, राष्ट्रवाद के उदय का सिद्धांत प्रस्तुत करती है। राष्ट्र एक सांस्कृतिक कलाकृति और एक अमूर्त परिघटना भी है, जहाँ एक समुदाय के सदस्य स्वयं को एक समुदाय के रूप में कल्पित करते हैं, जिससे एक राष्ट्रीय कल्पना का निर्माण होता है।

[1] हबीब, इरफान. (2017). नेशनलिज्म इन इंडिया: पास्ट एंड प्रेजेंट. 45(3-4), सोशल साइंटिस्ट, मार्च-अप्रैल, पृ.3-8.

[2] Gyaneshwari, G. (2017). Bal Gangadhar Tilak and His Philosophy of Nationalism. Imperial Journal of Interdisciplinary Research, 3(1), 1521-1524.

[3] Jaffrelot, C. (2007). Hindu Nationalism, pp.15-16.

[4] Dubey, M. (2017). The nationalism debate: Past and present. Indian Journal of Public Administration, 63(1), pp.1-12.

[5] Hardiman, D. (2003). Gandhi in His Time and Ours, pp.53-54.

[6] Chatterjee, P. (1993). Nationalist Thought and the Colonial World: A Derivative Discourse, pp.65-66.

[7] Sharma and Singh, Dr Sonika. (2021). The Nationalism debate: A modern Indian perspective. International Journal of Economic Perspectives, 15(1), Nov., pp.446-453.

[8] Dash, S.C. (1958). Nature and Significance of Indian Nationalism. The Indian Journal of Political Science, 19(1), pp.63-72.

[9] Sathyamurthy, T. V. (1997). Indian Nationalism: State of the Debate. Economic and Political Weekly, Vol. 32, No. 14, Apr. 5-11, pp.715-721.

[10] Smith. A. (2005). Ethno-Symbolism and the Study of Nationalism, pp.34-35.

[11] Hobsbawm, E. (2007). Globalisation, Democracy and Terrorism, pp. 46-48.

[12] Vinod, M. J. and Thomas, Vineeth. (2023). Contemporary Debates on Nationalism. Journal of Polity & Society, 15(2), pp.35-46.

[13] Anderson, B. (2006). Imagined Communities: Reflections on the origin and spread of nationalism, pp.11-12.

© 2025 सीमा गहलोत. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

एंडरसन, गेलनर और हॉब्सबॉम की तरह राष्ट्रवाद के ऐतिहासिक या आधुनिकतावादी स्कूल में आते हैं, जो राष्ट्रवाद के यूरो-केंद्रित दृष्टिकोण से हटकर एंडरसन की तरह एक वैश्विक दृष्टिकोण की ओर अग्रसर होते हैं।[14]

भारतीय विचारक पार्थ चटर्जी राष्ट्रवाद की विचारधारा का आलोचनात्मक विश्लेषण करके राष्ट्रवाद से जुड़ी कुछ रूढ़ियों पर पुनर्विचार करने का तर्क देते हैं। वे एंडरसन की कल्पित समुदाय की अवधारणा का विरोध करते हैं, जो कुछ विशिष्ट रूपों से उत्पन्न होती है और शेष विश्व में राष्ट्रवाद की कल्पना के लिए बहुत कम जगह छोड़ती है। इसलिए आध्यात्मिकता भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जो समाज के सांस्कृतिक चिह्नों को अपने साथ लेकर चलती है। धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति, विद्यालय, परिवार, महिलाएँ, संस्कृति, ये सभी कारक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को गहरे रूप में प्रभावित करते हैं। पार्थ चटर्जी के अनुसार इतिहास दर्शाता है कि परिवार राष्ट्रीय संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए उनका तर्क है कि भारतीय राष्ट्रवाद कुछ हद तक व्युत्पन्न था, हालाँकि पूरी तरह से नहीं।[15]

हाल के दिनों में, योराम हज़ोनी द्वारा राष्ट्रवाद का एक और आयाम सामने आया है, जिन्होंने तर्क दिया कि दुनिया का शासन तब सबसे अच्छा होता है; जब राष्ट्र अपनी राह खुद तय कर सकते हैं। राष्ट्रों के अपने राज्य पर दावा करने के नैतिक अधिकार से ज़्यादा, उन्होंने राष्ट्र के स्तर पर शासन करने वाली सत्ता स्थापित करने के व्यावहारिक लाभों पर ज़ोर दिया। हज़ोनी के लिए, नरसंहार राष्ट्रवाद का परिणाम नहीं था, बल्कि हिटलर के अति-साम्राज्यवाद का परिणाम था, जो अपने 1000 साल के राइख साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। न्यूरेनबर्ग कानून जर्मन सम्मान और रक्त की रक्षा के नाम पर पारित किए गए थे। इसने यहूदियों और आर्यों के बीच विवाह को भी कई अन्य प्रतिबंधों के साथ रोक दिया। हिटलर के इस राष्ट्रवाद ने जर्मनी को दो हिस्सों में बाँट दिया था।[16]

वैश्वीकरण ने दुनिया भर में विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं, व्यापार, लोगों, समाजों और संस्कृतियों के बीच संपर्क बढ़ाने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। साझा भाग्य और भविष्य के संदर्भ में दुनिया एक-दूसरे पर निर्भर है। हम एक अखंड विश्व के युग में रह रहे हैं। राष्ट्रवाद की अवधारणा भी वैश्वीकरण के परिवर्तनों और प्रभावों को अपना रही है। सीमाएँ भले ही अप्रासंगिक होती जा रही हों, लेकिन वे गायब नहीं हुई हैं। राष्ट्रवाद की ताकतें सीमाओं को अक्षुण्ण रखेंगी क्योंकि यह लोकप्रिय संप्रभुता की अभिव्यक्ति है। एक ओर यूरोकेंद्रित राष्ट्रवाद का पतन हुआ है, वहीं दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रवाद अपनी संस्कृति और आध्यात्मिकता में समाहित होकर यूरोकेंद्रित राष्ट्रवाद के विकल्प के रूप में उभर रहा है। सार्वभौमिक बंधुत्व में भारतीय आस्था राष्ट्रवाद की अपनी अवधारणा को सार्वभौमिक बनाती है। वैश्वीकरण के युग ने स्वदेशी समाजों और संस्कृतियों, जिनमें भारतीय संस्कृति भी शामिल है, के सामने गंभीर चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं।[17]

वैश्वीकरण की ताकतों ने भारतीय बाजार और समाज को शेष विश्व के लिए खोलना अनिवार्य बना दिया। भारतीय संस्कृति और उसका आध्यात्मिक जीवन भी टीवी, इंटरनेट आदि सहित विभिन्न माध्यमों के माध्यम से विस्तारित हुआ। वैश्विक संलयन के इस प्रतिबिंब ने भारत की 'सांस्कृतिक पहचान' के सामने एक गंभीर चुनौती पेश की। इसलिए, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण और वैश्वीकरण के बीच के अंतर की पुनर्व्याख्या की गई। हालाँकि, भारतीय विवेक पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण के बीच एक स्पष्ट रेखा खींचना संभव बनाता है। भारतीय राष्ट्रवाद और वैश्वीकरण का गहन विश्लेषण वैश्वीकरण और राष्ट्र-राज्य के बीच एक मजबूत संबंध का सुझाव देता है। इन संबंधों ने भारत के सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को प्रभावित किया।

हालाँकि, वैश्वीकरण का युग बड़ी संख्या में लोगों के एक देश से दूसरे देश में अवैध प्रवास को प्रोत्साहित करता है। राष्ट्रवाद का विचार अक्सर रक्षात्मक पाया जाता है क्योंकि विभिन्न संस्कृतियों से लोग आते हैं, जो अपने पूर्व सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन और प्रतीकों को बनाए रखने पर ज़ोर देते हैं। इस प्रकार वैश्वीकरण ने राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए अतिरिक्त चुनौतियाँ पैदा की हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) आदि के विरोध ऐसे उदाहरण हैं जहाँ आत्मसात करने की प्रक्रिया पहचान से पराजित हो जाती है।[18]

बलदेव राज नायर जैसे विद्वानों का मानना है कि आर्थिक शक्तियों का बढ़ता प्रभाव राष्ट्रवाद की शक्तियों को कमज़ोर करेगा। उनके अनुसार, "विकासशील देशों में आर्थिक नीति सुधारों की हालिया लहर को बदली हुई विश्व आर्थिक व्यवस्था का एक आवश्यक परिणाम माना गया है। हालाँकि बदली हुई विश्व अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता तीव्र आर्थिक वैश्वीकरण का तत्व है, लेकिन इससे आर्थिक राष्ट्रवाद कमज़ोर नहीं हुआ है"।[19] फिर भी, आज दुनिया एक अलग प्रवृत्ति देख रही है। यह अर्थव्यवस्था-आधारित, प्रौद्योगिकी-चालित वैश्वीकरण के साथ-साथ महाद्वीपों में सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी शक्तियों के मज़बूत होने की एक जटिल घटना है। भारत जैसे राष्ट्र दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने में सक्षम हैं।

भारत में राष्ट्रवाद पर केंद्रित वर्चस्व की राजनीति की संरचना में दो चरण पहचाने जा सकते हैं। एक वह है जिसका कांग्रेस और उसके राष्ट्रवाद के ब्रांड ने समर्थन किया, जो दावा करता है कि इसकी विरासत उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़ी है; और दूसरा, हिंदुत्व राष्ट्रवाद का विचार। इनके अलावा एक तीसरी धारा भी पहचानी जा सकती है जिसने एकता और अखंडता से समझौता किए

[14] Vinod, M. J. and Thomas, Vineeth. (2023). Contemporary Debates on Nationalism. Journal of Polity & Society, 15(2), pp.35-46.
[15] Chatterjee, P. (1993). Nationalist Thought and the Colonial World: A Derivative Discourse, pp.34-39.
[16] Hazony, Y. (2018). The Virtue of Nationalism, pp.48-56.

[17] शुक्ला, रवि रमेश चंद्र. (2024). दी कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ़ कंटेम्परेरी इंडियन नेशनलिज्म इंडिया. फाउंडेशन मोनोग्राफ-6, जनवरी, पृ.1-72 .
[18] शुक्ला, रवि रमेश चंद्र. (2024). दी कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ़ कंटेम्परेरी इंडियन नेशनलिज्म. इंडिया फाउंडेशन मोनोग्राफ-6, जनवरी, पृ.1-72.
[19] शुक्ला, रवि रमेश चंद्र. (2024), पृ.1-72.

© 2025 सीमा गहलोत. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

बिना अंतर को उजागर करके और क्षेत्रीय पहचानों के निर्माण और अभिकथन द्वारा भारतीय पहचान को स्पष्ट करने की कोशिश की।[20]
भारतीय राष्ट्रवाद पर बहस का वर्तमान संदर्भ, बहुलवादी राष्ट्रवादी विचारों के विपरीत एकात्मक हिंदुत्व के दृष्टिकोण से प्रभावित है, जो स्थानिक राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान के महत्व और स्थान पर सवाल उठाता है जो संघीय प्रश्न, केंद्र-राज्य संबंधों के प्रश्न को समस्याग्रस्त बनाता है। इसे स्वतंत्रता के बाद के भारत की लोकतांत्रिक राजनीति के ऐतिहासिक प्रक्षेप वक्र में रखकर सबसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है।[21]
गहरे वैचारिक स्तर पर, राष्ट्रवाद की हिंदुत्व की धारणा एकरूपता और विलक्षणता पर जोर देती है और राष्ट्र की अपनी कल्पना में भारत के एकात्मक चरित्र पर जोर देती है और उसे उचित ठहराती है। एकता के रूप में राष्ट्र का यह विचार स्वाभाविक रूप से, वास्तव में, केंद्रीकरण पर आधारित है। कहने की जरूरत नहीं है कि इस दृष्टिकोण के क्षेत्र, भाषा, संस्कृति और धर्म के आधार पर अंतर, विविधता और बहुलता के लिए बहुत बड़े निहितार्थ हैं।[22]

भारत में राष्ट्रवाद से जुड़े समकालीन घटनाक्रम:

(1) नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और भारतीय राष्ट्रवाद:

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और भारतीय राष्ट्रवाद के बीच एक जटिल संबंध है। दिसंबर 2019 में, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) पेश किया, जो पिछले भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करने के लिए था, जो भारत की नागरिकता के अधिग्रहण और निर्धारण के लिए एक अधिनियम था। 11 दिसंबर, 2019 को भारतीय संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित किया, जिस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद यह कानून बन गया। स्वतंत्र भारत में यह पहली बार था कि देश की नागरिकता प्रक्रिया में धार्मिक मानदंड जोड़ा गया। यह कानून 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए सभी गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करता है और इस कानून के तहत आवश्यक कुल निवास या सेवा अवधि को घटाकर पाँच वर्ष कर देता है, जो पहले ग्यारह वर्ष थी।[23]
1955 का नागरिकता अधिनियम भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के पाँच तरीकों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जैसे जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिककरण और किसी क्षेत्र का भारत में विलय पर आधारित होता है।[24] हालाँकि, सीएए इन तरीकों का खंडन करता है और इसके बजाय, नागरिकता को धर्म के आधार पर निर्धारित करता है इसलिए यह मौलिक रूप से गलत और असंवैधानिक है। इसके अलावा, सीएए भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर भी प्रहार करता है, जिसमें घोषित किया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है।[25]
नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) भारत के संविधान में निहित बहुलवादी और विषम समाज, समानता और न्याय के सिद्धांतों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करता है। केवल धार्मिक पहचान के आधार पर नागरिकता की अवधारणा को प्रस्तुत करके, सीएए उन लोगों के साथ भेदभाव करता है जो निर्दिष्ट धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित नहीं हैं इसलिए सीएए अधिकार क्षेत्र से बाहर है और इसे संविधान और धर्मनिरपेक्षता की मूल विशेषता के घोर उल्लंघन के रूप में चुनौती दी जानी चाहिए।[26]
इसके आलोचकों का कहना है कि CAA विभाजनकारी है क्योंकि यह मुसलमानों को नागरिकता से वंचित करता है, जो भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि के खिलाफ है। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि CAA, भारत की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह धार्मिक उत्पीड़न से भाग रहे लोगों को आश्रय प्रदान करता है। हालांकि, कुछ लोगों के लिए, CAA भारत की अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह उन लोगों को नागरिकता प्रदान करता है जो वर्षों से भारत में रह रहे हैं, लेकिन उन्हें नागरिकता नहीं दी गई है।

(2) भारतीय राष्ट्रवाद और धारा 370:

भारतीय संविधान की धारा 370 और भारतीय राष्ट्रवाद के बीच एक गहरा अंतर्संबंध है। यह धारा जम्मूकश्मीर राज्य को विशेष दर्जा - प्रदान करतीथी। इसके तहत राज्य को भारतीय संघ का हिस्सा तो माना गया, लेकिन उसे कई विशेषाधिकार भी प्राप्त थे। समय के साथ यह धारा भारतीय एकता, अखंडता और राष्ट्रवाद की अवधारणाओं पर एक गंभीर विमर्श का विषय बन गई।
स्वतंत्र भारत के इतिहास का सर्वाधिक विवादित एवं चर्चित पन्ना धारा 370 रही है. कई राष्ट्रवादी संगठन इसे अलगाववाद को बढ़ावा देने में सहायक मानते हैं 1947 में, भारत-पाकिस्तान विभाजन के बाद, जम्मू और कश्मीर, एक मुस्लिम बहुल रियासत और हिंदू शासक वाली रियासत, जिसकी दोनों देशों के साथ लंबी सीमा थी, में भारी तनाव था क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों ही इसे पाने के लिए लालायित थे । जम्मू और कश्मीर राज्य के पूर्व शासक, महाराजा हरि सिंह दुविधा में थे । वह न तो नव-लोकतांत्रिक भारत में शामिल होना चाहते थे और न ही मुस्लिम-बहुल पाकिस्तान का साथ देने के इच्छुक थे। वह चाहते थे कि कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य बना रहे।[27]
24 अक्टूबर, 1947 को, सिंह ने पाकिस्तान से आने वाली धमकियों और हमलों से सैन्य सुरक्षा के लिए भारत से अपील की। बदले में, उन्होंने जम्मू और कश्मीर को भारत को सौंप दिया। परिणामस्वरूप 'इंस्ट्रूमेंट ऑफ़ एक्सेशन' (IoA) पर हस्ताक्षर हुए, जिसके द्वारा सिंह ने

[20] कोदूर, एस., (2022) "नया राष्ट्रवाद, सामाजिक लोकतंत्र और विकास: समकालीन भारत पर एक टिप्पणी", सामाजिक विकास मुद्दे 44(2), पृ.54-62.
[21] शर्मा, ज्योतिर्मय. (2003). हिंदुत्व: हिंदू राष्ट्रवाद के विचार की खोज, पृ.72-75.
[22] Jafferlot, C. (2007). Hindu Nationalism, pp.68-69.
[23] Mudgal, Vipul. (Ed., 2020). Citizenship Amendment Act and the Idea of India. Common Cause, Vol. XXXIX(1), pp.3-4.
[24] The Citizenship Act, 1955. (1955). In the Citizenship Act, 1955
[25] Ananda, D. (2024). The Inter-section of Indian Citizenship Amendment Act 2019 and Religious Persecution. *Discover global Society,* 2 (76), pp.1-12.
[26] Lalli. (2020). Communalization of Citizenship Law: Viewing the Citizenship (Amendment) Act 2019 Through the Prism of the Indian Constitution. University of Oxford Human Rights Hub Journal, 3(1), pp. 95–122.
[27] Bose, Sumantra. (2003). Kashmir: Roots of Conflict, Paths to Peace, pp.8-12.

© 2025 सीमा गहलोत. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

27 अक्टूबर, 1947 को जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय कर दिया। हालाँकि, कुछ शर्तें लागू थीं। भारत को राज्य पर पूर्ण नियंत्रण नहीं दिया जाएगा।[28]

इस दस्तावेज़ के अनुसार, भारत की संसद केवल तीन विषयों पर ही कानून बना सकती थी—रक्षा, विदेश मामले और संचार। बाकी सब कुछ जम्मू और कश्मीर राज्य पर छोड़ दिया गया था। इसके अलावा, राज्य भारत के संविधान (जिसका उस समय मसौदा तैयार किया जा रहा था) से बाध्य नहीं था। आईओए में यह भी कहा गया था कि भारत सरकार इसमें तब तक संशोधन नहीं कर सकती जब तक कि आईओए के किसी अनुपूरक द्वारा इसकी अनुमति न दी जाए। संविधान सभा ने अनुच्छेद 370 (मसौदा अनुच्छेद 306A) को प्रभावी बनाने के लिए प्रस्तुत किया। इस अनुच्छेद का शीर्षक 'जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित अस्थायी प्रावधान' है। इसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर को एक स्वतंत्र रियासत से भारत के एक लोकतांत्रिक राज्य में परिवर्तित करना था।[29]

जम्मू-कश्मीर की धारा 370 को लेकर कई राष्ट्रवादी विचारकों और राजनीतिक दलों ने समय-समय पर यह तर्क दिया कि यह प्रावधान भारतीय राष्ट्र की एकता और अखंडता के विरुद्ध है। उनके अनुसार यह अन्य राज्यों की तुलना में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देता है, जो समता के सिद्धांत के विरुद्ध है। इससे "एक राष्ट्र, एक संविधान और एक कानून" की अवधारणा कमजोर होती है। इसके कारण राज्य में बाहरी निवेश और विकास कार्य सीमित रह गए जिससे वह मुख्यधारा से कटता गया है और अन्य भारतीय राज्यों से पिछड़ रहा है।

जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 और 35ए द्वारा दिए गए विशेष दर्जे को हटाने के लिए संसद ने 5 अगस्त, 2019 को मंजूरी दी। तब केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे - 'ऐतिहासिक भूल को ठीक करने वाला ऐतिहासिक कदम' कहा था। सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी करते ही 31 अक्टूबर, 2019 से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो अलग केन्द्र शासित प्रदेश में पुनर्गठित कर दिया गया। इसके साथ ही केन्द्र सरकार के 170 कानून जो पहले लागू नहीं थे, अब वे इस क्षेत्र में लागू कर दिए गए हैं। यहां के स्थानीय निवासियों और दूसरे राज्यों के नागरिकों के बीच अधिकार अब समान हैं। राज्य के 334 कानूनों मे से 164 कानूनों को निरस्त किया गया, 167 कानूनों को भारतीय संविधान के अनुरूप अनुकूलित किया गया।[30]

धारा 370 के हटाए जाने पर राष्ट्रवादी समूहों ने इसे राष्ट्रीय एकता की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उनका मानना था कि अब जम्मू-कश्मीर भी अन्य राज्यों के समान ही विकास की मुख्यधारा से जुड़ेगा और राष्ट्र की संप्रभुता पूर्ण रूप से लागू होगी।

कुछ विद्वानों और राजनीतिक दलों ने इस निर्णय को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अनदेखी बताया। उनके अनुसार यह निर्णय बिना राज्य की विधान सभा की सहमति के लिया गया जो कि संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। इससे देश के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचा है। इससे राज्य में स्थानीय असंतोष और असुरक्षा की भावना बढ़ सकती है।[31]

हालांकि, धारा 370 और भारतीय राष्ट्रवाद के बीच संबंध केवल एक संवैधानिक मुद्दा नहीं, बल्कि यह भारतीय एकता और विविधता के मध्य संतुलन की परीक्षा भी है। धारा 370 का निष्प्रभावीकरण राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से एकीकृत भारत की संकल्पना की ओर एक साहसिक कदम था, किंतु इसका उद्देश्य तभी पूर्ण होगा जब जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में शांति, विकास और लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए। राष्ट्रवाद केवल प्रतीकों और विधानों से नहीं, बल्कि समान अवसर और न्याय से पुष्ट होता है।

(3) भारतीय राष्ट्रवाद और अयोध्या विवाद:

भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विविधताओं के बीच एकता स्थापित करने का रहा है। यह राष्ट्रवाद स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सांप्रदायिक सद्भाव, समाज-सुधार, और राष्ट्रीय एकता पर आधारित था। देश का अयोध्या विवाद, जो धार्मिक आस्थाओं और ऐतिहासिक दावों से जुड़ा हुआ है, भारतीय राष्ट्रवाद की परिभाषा और उसकी सीमाओं समय-समय पर चुनौती पेश करता रहा है।

इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो अयोध्या विवाद का मूल भारत के एक नगर अयोध्या (उत्तर प्रदेश) में स्थित एक स्थल को हिंदू धर्मावलंबी भगवान राम का जन्मस्थान मानते हैं। मुगल शासनकाल के दौरान 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा वहाँ बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। तब से ही यह मुस्लिमों के लिए पवित्र स्थान बन गया। वहीं, हिंदू पक्ष का दावा था कि यह मस्जिद एक प्राचीन राम मंदिर को ध्वस्त कर बनाई गई थी। यह विवाद 19वीं शताब्दी से ही जारी था, लेकिन 1980 के दशक में इसका राजनीतिकरण हुआ और इसके अनेक घटनाक्रम सामने आये जिसमें 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को कारसेवकों ने गिरा दिया, जिससे देशभर में सांप्रदायिक हिंसा फैली।[32]

इसी संदर्भ में भारतीय राष्ट्रवाद की मूल अवधारणा देखें तो यह तीन मुख्य आधारों पर टिकी है:- (1) धार्मिक सहिष्णुता और सर्वधर्म समभाव अर्थात सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान देना। (2) संविधान और कानून का शासन अर्थात व्यक्तिगत आस्था से ऊपर संवैधानिक मूल्य को प्राथमिकता। (3) देश की सांस्कृतिक एकता पर बल अर्थात देश के विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के लोगों में राष्ट्रीय चेतना पैदा करना।[33]

अयोध्या विवाद ने भारतीय राष्ट्रवाद के बीच गंभीर तनाव उत्पन्न किया और देश की धार्मिक अस्मिता को राष्ट्रवाद के केंद्र में ला खड़ा किया, जिससे भारत का धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद कमजोर हुआ। बाबरी विध्वंस के बाद देश के अनेक हिस्सों में सांप्रदायिक दंगे, हिंसा हुई और राजनीति में इसका तीव्र ध्रुवीकरण बढ़ा जो आज भी कायम है। यह विवाद उन

[28] Ganguly, Sumit. 1996. "Explaining the Kashmir Insurgency: Political Mobilization and Institutional Decay." *International Security* 21 (2), pp.76–107.

[29] Misra, R. P. (2022). Discursive Construction of Indian Nation: Examining Indian Newspaper Editorials on Abrogation of Article 370. Journalism Practice, 18(10), pp.2688–2711.

[30] Lalwani, S. & G. Gayner. (2020). *India's Kashmir Conundrum: Before and After the Abrogation of Article 370*. Washington, DC: United States Institute of Peace. No. 473, August.

[31] Murthy, Laxmi, & Geeta Seshu. (2019). Silence in the Valley: Kashmiri Media After the Abrogation of Article 370. *Economic & Political Weekly,* 54 (43), pp.02–28.

[32] अयोध्या विवाद: 20 वर्षों में बदला राजनीतिक-सामाजिक माहौल, दैनिक जागरण, 06 दिस., 2012.

[33] Ayodhya verdict yet another blow to Secularism: Sahmat, The Hindu (Chennai), 3 October 2010.

© 2025 सीमा गहलोत. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

बुद्धिजीवी लोगों के लिए एक चुनौती बन गया जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष और बहुलतावादी राष्ट्र मानते थे।[34]

हालाँकि, कुछ विचारकों और संगठनों ने इसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतीक माना, जो भारत की हिंदू परंपराओं को पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयास था। उनके अनुसार, राम मंदिर आंदोलन एक राष्ट्रीय आत्मसम्मान का विषय था और अंततः उनकी ही जीत हुई।

इसी संदर्भ में 2019 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि विवादित भूमि रामजन्मभूमि ट्रस्ट को दी जाएगी और मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ वैकल्पिक भूमि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय में इससे जुड़े सभी पक्षों को सुनते हुए संवैधानिक व्यवस्था को प्राथमिकता दी। इससे यह संदेश गया कि भारत का राष्ट्रवाद कानून और न्याय पर आधारित है, न कि धार्मिक आग्रह पर। न्यायालय ने यह भी माना कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस अवैध था।[35]

समकालीन संदर्भ में भारत में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को अब कई राजनीतिक दल "राष्ट्र निर्माण" की प्रक्रिया से जोड़ते हैं। वहीं, कुछ आलोचक इसे धर्म आधारित राष्ट्रवाद की ओर झुकाव मानते हैं, जो समावेशी भारतीय राष्ट्रवाद के लिए भविष्य में खतरा बन सकता है।

भारतीय राष्ट्रवाद और अयोध्या विवाद का संबंध गहरा लेकिन जटिल है। जहाँ एक ओर, यह विवाद धार्मिक भावनाओं और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक बना। वहीं, दूसरी ओर, यह धर्मनिरपेक्षता, कानून के शासन, और समावेशी राष्ट्रवाद की कसौटी पर भी खरा उतरने की चुनौती देता रहा। अतः देश के भविष्य के लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रवाद की परिभाषा सांस्कृतिक गौरव के साथ-साथ सर्वसमावेशी लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ी रहे, ताकि भारत विविधता में एकता के अपने आदर्श को बनाए रख सके।

इस प्रकार उपरोक्त विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमों ने भारत में राष्ट्रवाद पर एक नई बहस को जन्म दिया जिसमें संवैधानिक मूल्यों एवं भारत की धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की छवि को गहरे रूप में प्रभावित करने के साथ-साथ देश में राष्ट्रवाद की पुनर्व्याख्या करने और उसे नए संदर्भ में परिभाषित करने की आवश्यकता महसूस की।

निष्कर्ष

समकालीन भारत में राष्ट्रवाद एक बहुआयामी और जटिल अवधारणा बन चुका है, जो ऐतिहासिक विरासत, सांस्कृतिक अस्मिता, धार्मिक विविधता और वैश्विक परिस्थितियों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रवाद जहाँ एक समावेशी और एकताबद्ध आंदोलन का स्वरूप था, वहीं आज यह अनेक वैचारिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विमर्शों का विषय है। गांधी, नेहरू, टैगोर, सावरकर और विवेकानंद जैसे विचारकों ने राष्ट्रवाद की विभिन्न व्याख्याएं प्रस्तुत कीं, जो आज भी भारत के राजनीतिक और सामाजिक विमर्श को आकार देती हैं।

नवउदारवादी वैश्वीकरण के युग में राष्ट्रवाद का स्वरूप और भी जटिल हो गया है। डिजिटल संचार माध्यमों ने राष्ट्रवादी भावनाओं को एक नई गति दी है, जिससे एक ओर राष्ट्रीय चेतना का विस्तार हुआ है, वहीं दूसरी ओर धार्मिक और सांस्कृतिक ध्रुवीकरण की प्रवृत्तियाँ भी प्रबल हुई हैं। धारा 370 का निष्प्रभावीकरण, नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और अयोध्या विवाद जैसे घटनाक्रमों ने राष्ट्रवाद के बहस को संवैधानिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सापेक्ष रखकर पुनर्परिभाषित किया है।

इस विमर्श से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रवाद केवल एक राजनीतिक उपकरण नहीं, बल्कि समाज के गहरे सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक तत्वों से भी जुड़ा है। भारतीय राष्ट्रवाद की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह किस हद तक विविधता, समावेशिता, न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों को आत्मसात करता है। अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि राष्ट्रवाद को केवल सत्ता के दृष्टिकोण से न देखकर एक नैतिक, समावेशी और मानवीय मूल्य के रूप में देखा जाए, ताकि भारत अपनी बहुलतावादी परंपरा को बनाए रखते हुए एक सशक्त, समरस और लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ सके।

संदर्भ ग्रंथ-सूची

1. अयोध्या विवाद: 20 वर्षों में बदला राजनीतिक-सामाजिक माहौल. दैनिक जागरण. 2012 दिस 6.
2. ब्लैंक T, श्मिट P. National identity in united Germany: Nationalism or patriotism? Polit Psychol. 2003;24(2):289-312.
3. बिस्वास देबज्योति, रयान जॉन चार्ल्स. Nationalism in India: Texts and contexts. दिल्ली: राउतलेज; 2023.
4. ब्रजमोहन. Interpreting nationalism in the Indian context. Indialogs. 2023;10:125-134.
5. ब्रेयली J. Nationalism and the state. New York: St. Martin's Press; 1982.
6. भट्टाचार्य रीमा. The changing dynamics of Indian nationalism in contemporary Indian Hindi movies. Nat Identities. 2025;27(1-2):195-214.
7. मंजुनाथ R, हनुमंथप्पा DG. Globalization and nationalism in India: A theoretical perspective. Int J Humanit Soc Sci Res. 2021 Jan;7(1):78-83.
8. मजूमदार सुरजीत. Economic nationalism in India. In: Handbook of economic nationalism. Tallinn (Estonia): Elgar; 2022.
9. मिश्रा ऋचीक. पांच सदी पुराना है अयोध्या विवाद. आज तक. 2019 अक्टू 30.
10. मिश्रा विश्वनाथ. भारतीय राष्ट्रवाद: राष्ट्रवाद का अवधारणात्मक वि-औपनिवेशीकरण. दिल्ली: डी. के. पब्लिशिंग हॉउस; 2022.
11. नंदी A. The culture of Indian politics: A stock taking. J Asian Stud. 1970 Nov;30(1):57-79.
12. हबीब इरफान. Nationalism in India: Past and present. Soc Sci. 2017;45(3-4):3-8.

[34]Chothe, Ashok Uttam. (2020). Ayodhya Ram Mandir: Dispute and Politics. *International Interdisciplinary Research Journal*, 10 (05), Sept-Oct, pp.129-131.

[35] Nazneen Mohsina. (2019). Verdict: Is the Political Climate in India Impeding the Rights of Religious Minorities? *South Asian Voices*, 13 December.

© 2025 सीमा गहलोत. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

13. हबीब इरफान. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रवाद. दिल्ली: वाणी प्रकाशन; 2023.
14. हबीब इरफान, संपादक. भारतीय राष्ट्रवाद: एक अनिवार्य पाठ. दिल्ली: राजकमल प्रकाशन; 2023.
15. हचिंसन जॉन, स्मिथ एंथनी D, संपादक. Oxford readers: Nationalism. Oxford (UK): Oxford University Press; 2012.
16. हॉफमैन J, ग्राहम P. Introduction to political theory. New York: Routledge; 2015.
17. हॉलब्राड C. Internationalism and nationalism in European political thought. New York: Springer; 2003.
18. हैरिसन K, बॉयड T. Understanding political ideas and movements. Manchester: Manchester University Press; 2010.
19. हबीब इरफान. भारत में राष्ट्रवाद: अतीत और वर्तमान. सोशल साइंटिस्ट. 2017;45(3-4):4-8.
20. सबानादेज N. Globalization and nationalism. Budapest: Central European University Press; 2010.
21. सदरलैंड C. Nationalism in the twenty-first century. New York: Palgrave Macmillan; 2012.
22. शुक्ला रवि रमेश चंद्र. The cultural identity of contemporary Indian nationalism. India Foundation Monograph-6. 2024 Jan;1-72.
23. चंद्र बिपिन. The rise and growth of economic nationalism in India. Delhi: Har-Anand Publications; 2012.
24. चटर्जी P. The nation and its fragments: Colonial and postcolonial histories. Princeton: Princeton University Press; 1993.
25. देसाई AR. भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि. नई दिल्ली: सेज इंडिया; 2018.
26. जैफ्रेलोट C. हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन और भारतीय राजनीति. दिल्ली: पेंगुइन बुक्स; 1999.
27. ग्रीनफेल्ड L. The spirit of capitalism: Nationalism and economic growth. Harvard: Harvard University Press; 2001.
28. ग्रीनफील्ड L. राष्ट्रवाद: आधुनिकता के पाँच रास्ते. हार्वर्ड: हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस; 1993.
29. Vinod MJ, Thomas V. Contemporary debates on nationalism. J Polity Soc. 2023;15(2):35-46.
30. Chatterjee P. Nationalist thought and the colonial world: A derivative discourse. London: Zed Books; 1993.
31. Hazony Y. The virtue of nationalism. London: Hachette; 2018.
32. Sathyamurthy TV. Indian nationalism: state of the debate. Econ Polit Wkly. 1997;32(14):715-21.
33. Sharma, Singh S. The nationalism debate: a modern Indian perspective. Int J Econ Perspect. 2021;15(1):446-53.
34. Dash SC. Nature and significance of Indian nationalism. Indian J Polit Sci. 1958;19(1):63-72.
35. Dubey M. The nationalism debate: past and present. Indian J Public Adm. 2017;63(1):1-12.
36. Gnaneshwari G. Bal Gangadhar Tilak and his philosophy of nationalism. Imp J Interdiscip Res. 2017;3(1):1521-4.
37. Hardiman D. Gandhi in his time and ours. Delhi: Permanent Black; 2003.
38. Jaffrelot C. Hindu nationalism. Delhi: Permanent Black; 2007.
39. Kedourie E. Nationalism. London: Hutchinson & Co. (Publishers) Ltd; 1961.
40. Nanda SK. Cultural nationalism in a multy-national context: the case of India. Sociol Bull. 2006;55(1):24-44.
41. O'Donnell M. Review debate: we need human rights not nationalism 'lite' – globalization and British solidarity. Ethnicities. 2007;7(2):248-69.
42. Misra RP. Discursive construction of Indian nation: examining Indian newspaper editorials on abrogation of Article 370. Journal Pract. 2022;18(10):2688-711.
43. Bose S. Kashmir: roots of conflict, paths to peace. Massachusetts: Harvard University Press; 2003.
44. Ganguly S, Blank J, Devotta N. Introduction. In: Ganguly S, editor. The Kashmir question: retrospect and prospect. London: Routledge; 2005.
45. Lalwani S, Gayner G. India's Kashmir conundrum: before and after the abrogation of Article 370. Washington, DC: United States Institute of Peace; 2020. Report No.: 473.
46. Murthy L, Seshu G. Silence in the valley: Kashmiri media after the abrogation of Article 370. Econ Polit Wkly. 2019;54(43):2-28.
47. Noorani AG. Article 370: a constitutional history of Jammu and Kashmir. New Delhi: Oxford University Press; 2014.
48. Nazneen M. Verdict: is the political climate in India impeding the rights of religious minorities? South Asian Voices. 2019 Dec 13.
49. Chothe AU. Ayodhya Ram Mandir: dispute and politics. Int Interdiscip Res J. 2020;10(5):129-31.

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

© 2025 सीमा गहलोत. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/